राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 404/2023

अवधेश चौधरी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) कम संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संपतराम वर्मा, डीटीओ, वर्तमान पदस्थापित डीटीओ टोंक।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 01.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौति दी है जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला परिवहन अधिकारी टोंक से जिला परिवहन अधिकारी (लाईसेन्स) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर–प्रथम किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 सम्पतराम वर्मा को समंजन करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के विगत इस अवधि में लगातार स्थानान्तरण हुए हैं जो अनुचित एवं अवैध है।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का एक वर्ष चार माह के पश्चात आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा स्थानान्तरण प्रशासनिक एवं जनहित में जिला परिवहन अधिकारी टोंक से जिला परिवहन अधिकारी (लाईसेन्स) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर–प्रथम किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण जिला परिवहन अधिकारी करौली से जिला परिवहन अधिकारी (।।) भरतपुर स्थानान्तरणाधीन से जिला परिवहन अधिकारी टोंक किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी दिनांक 16.01.2023 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 18.01.2023 को जिला परिवहन अधिकारी टोंक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है (अनुलग्नक–आर3/1 एवं

3/2)। स्थानान्तरण आदेशों की पालना हो चुकी है तथा स्थानान्तरण आदेश की पालना होने के पश्चात अपीलार्थी को यह अधिकारी नहीं है कि वह स्थानान्तरण आदेश को चुनौति दे सके। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 5689/2022 माया छीपा बनाम राजस्थान राज्य एवं अपील संख्या 295/2023 भंवर सिंह बनाम राजस्थान राज्य (अनुलग्नक–आर3/4 एवं 3/5) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि अपने कर्मचारियों की सेवा किस स्थान पर ले। वर्तमान में यह प्रकट नहीं होता है कि निजी प्रत्यर्थी को समंजन करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो। इसमें कोई दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी दिनांक 15.09.2021 से टोंक में पदस्थापित है एवं यथोचित समय के पश्चात आलोच्य आदेश द्वारा स्थानान्तरण किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 01.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)